Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ उदयपुर में तहसील कार्यालय वल्लभनगर के भू अभिलेख निरीक्षक देवेन्द्र सिंह राणावत 15,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 30 मार्च 2026, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देशन में ए.सी.बी. स्पेशल यूनिट, उदयपुर द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी **देवेन्द्र सिंह राणावत, भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत्त दरौली, उदयपुर, हाल तहसील कार्यालय वल्लभनगर, उदयपुर (तहसीलदार वल्लभनगर के मौखिक आदेश से**) को परिवादी से **15,000/– रूपये** रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी. बी. चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, उदयपुर को दिनांक 13.02.2026 को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी की राजस्व ग्राम राणाकुई, पटवार हल्का गोटिपा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर में करीब पांच बिगा कृषि भूमि स्थित है। सेग्रिगेशन कार्यवाही के दौरान त्रुटिवश उक्त भूमि की किस्म बारानी तृतीय के बजाय भवन दर्ज रिकॉर्ड हो गई थी। जिसकी शुद्धि हेतु परिवादी ने प्रार्थना पत्र तहसीलदार वल्लभनगर के समक्ष पेश किया था, जिस पर तहसीलदार ने जांच हेतु सम्बंधित पटवारी पटवार मण्डल गोटिपा को भेजा और परिवादी के उक्त भूमि शुद्धिकरण करने के एवज में तहसील कार्यालय वल्लभनगर के भू–अभिलेख निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह राणावत द्वारा परिवादी का उक्त कार्य करवाने के एवज में 15,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई।

जिस पर ए.सी.बी. के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरविजन में ए.सी. बी. स्पेशल यूनिट उदयपुर के प्रभारी अधिकारी **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजीव जोशी** के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्री लक्ष्मणलाल डांगी**, द्वारा दिनांक 13.02.2026 एवं 23. 02.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही करवाई गई, दौराने सत्यापन वार्ता आरोपी देवेन्द्र सिंह राणावत, भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा परिवादी से उसकी उक्त भूमि की किस्म भवन के बजाय किस्म बारानी तृतीय का शुद्धिकरण आदेश तहसीलदार से करवाकर अपनी आर.पी.जी. आईडी से अपलोड कर शुद्धिकरण दर्ज करवाने की एवज में रिश्वत राशि 15,000/– रूपये की मांग की गई। रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि होने से आज प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व में श्री लक्ष्मणलाल डांगी, पुलिस निरीक्षक मय टीम द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह राणावत को परिवादी से अपनी मांग अनुसार 15,000/– रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी आरआई द्वारा उक्त शुद्धिकरण आदेश साहब (तहसीलदार वल्लभनगर) से करवाने की बात कहते हुये रिश्वत राशि की मांग की गई है, मामले में तहसीलदार वल्लभनगर, उदयपुर की भूमिका संदिग्ध है।

ए.सी.बी. की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।